



प्रेस विज्ञप्ति

07-06-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने डबल मनी घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6/06/2025 को 2.98 करोड़ रुपये की 25 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने बालाघाट जिले (म.प्र.) के दो पुलिस स्टेशनों में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस द्वारा कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने भोले-भाले लोगों को बहला-फुसलाकर बहुत कम समय में उनका पैसा दोगुना करने के नाम पर उनकी जमा राशि ले ली और आश्वासन के बदले में, कभी-कभी, उन्हें परिपक्वता राशि के पोस्टडेटेड चेक प्रदान करते थे। हालांकि, वे वादा की गई राशि वापस करने में विफल रहे, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर और चार्जशीट दाखिल करने के बाद, पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के लिए ईडी भोपाल द्वारा ईसीआईआर दर्ज की गई। यह पता चला कि आरोपी व्यक्ति निवेशकों से नकद के रूप में या सीधे अपने स्वामित्व वाली कंसर्न्स के बैंक खातों में पैसा लेते थे। इस पैसे (अपराध की आय) का उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था, जो आरोपियों द्वारा उनके नाम पर और उनके परिवार के सदस्यों या उनके लिए काम करने वाले एजेंटों के नाम पर अर्जित की गई थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।